बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 संख्याः– 3/अ0प्र0–1–573/2011 53 /पटना, दिनांक :– 23.9.2020

गोपालगंज जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत झझवा से सलहपुर पथ निर्माण में WBM Grade-II की मुटाई दो स्थानों पर प्रावधनित मुटाई 75mm के विरूद्ध क्रमशः 75mm एवं 50 mm पाये जाने, प्रिमिक्स कारपेट के उपर सील कोट टाईप A का कार्य नहीं पाये जाने, पूरे पथ परत एवं पथ के फलैंक में संपीडन का अभाव पाये जाने, फलैंक एवं Side Slope में आंशिक मिट्टी कार्य पाये जाने एवं रोड फर्नीचर का कार्य नहीं पाये जाने के आरोपों के लिए श्री शेखर कुमार सुमन, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2178 अनु0 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. विभागीय निदेश के आलोक में श्री सुमन के पत्रांक शुन्य दिनांक 31.10.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षोपरान्त अस्वीकार्य योग्य पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–37–सह–पठित ज्ञापांक–1135 दिनांक 15.06.2020 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–7934 अनु0 दिनांक 14.09.2020 द्वारा श्री सुमन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप संख्या–1 को क्रस्ट की मोटाई प्रावधान के अनुरूप होने, मोटाई पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने एवं NQM Report में Sub-base एवं Base Course में Grading 'S' प्रदान करने, आरोप संख्या–2 को Seal Coat का कार्य प्रथम द्वितीय चालू विपत्र तक नहीं होने तथा Seal Coat की मापी आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंकित नहीं की किये जाने, आरोप संख्या–3 को एन0क्यू0एम0 रिपोर्ट तथा कार्यपालक अभियंता, गुणवता प्रबंधन–2 के जॉच प्रतिवेदन में Compaction को ठीक पाये जाने एवं कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने, उनके द्वारा केवल प्रथम एवं द्वितीय विपत्र की मापी अंकित किये जाने तथा NQM Report के Item no. 4 (e) में Side Slope एवं Profile के बारे में 'S' Grading दिये जाने तथा आरोप संख्या–4 को मापी पुस्तिका के अनुसार रोड फर्नीचर का कार्य सबसे अंत में किया जाता है के आधार पर श्री सुमन के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित माना गया।

अतएवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत श्री शेखर कुमार सुमन, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज को आरोप से मुक्त किया जाता है।

ह0/- 22/09/2020
(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–573/2011 1565 /पटना, दिनांक :– 23.9.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज/ गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–4,/श्री शेखर कुमार सुमन, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/09/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–573/2011 1565 /पटना, दिनांक :– 23.9.2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/09/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–573/2011 1565 /पटना, दिनांक :– 23.9.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/09/2020
अभियंता प्रमुख